न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम :– बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर :– 47 / 2020
किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक :– 05.08.2020
निर्णय दिनांक :– 18.01.2025

अनवान

1. रामपुरी पिता खूमपुरी गोस्वामी निवासी हाल 100 फीट रोड [illegible] व जिला राजसमन्द।

……………प्रार्थी

बनाम

1. मोहन भारती पिता भैरू भारती गुसाई निवासी राजनगर माणक चौक राजनगर मृतक के बजाय
1/1. नारायण भारती पिता मोहन भारती निवासी माणक चौक महादेव मन्दिर के पास राजनगर।
1/2. दिनेश भारती पिता शंकर भारती निवासी माणक चौक महादेव मन्दिर के पास राजनगर।
1/3. अशोक भारती पिता शंकर भारती निवासी माणक चौक महादेव मन्दिर के पास राजनगर।
1/4. रतना देवी पत्नि रामगिरी निवासी सकरावास तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
1/5. प्रेम देवी पत्नि शंकरपुरी निवासी माणक चौक महादेव मन्दिर के पास राजनगर।
1/6. शाता देवी पत्नि भंवरपुरी निवासी सुरज दरवाजा देवगढ।
1/7. दुर्गा देवी पत्नि गोपालपुरी निवासी आरणा तह व जिला राजसमन्द।
1/8. शकू देवी पत्नि शिवपुरी निवासी पावटा तह. मावली उदयपुर
1/9. सज्जन देवी पत्नि पप्पुगिरी निवासी जोधपुरा तहसील कुंवारिया।
1/10. रेखा देवी पत्नि गोटुगिरी निवासी आगरिया तह. आमेट जिला राजसमन्द।
1/11. चन्दा देवी पत्नि हिम्मतगिरी निवासी आगरिया हाल निवासी डिकली रोड प्रताप रोड उदयपुर।

……………विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित
वकील प्रार्थी :– श्री सम्पत लाल लढडा
वकील विपक्षीगण :– अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राजनगर पटवार हल्का राजनगर तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1190, 1191, 1192, 1194, 1195 कुल किता 5 रकबा क्रमश 0–13, 0–12, 0–05, 0–12, 0–17 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। आराजी संख्या 1199, 1197, 1196 कुल किता 3 रकबा क्रमशः 0–15, 0–12, 1–15 बीघा भूमि विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। विपक्षी की उक्त वर्णित आराजी में होकर प्रार्थी की स्वयं की आराजी नम्बर 1195 में संदीप से आ जा रहे है। प्रार्थी से पहले प्रार्थी के पूर्वाधिकारी आते जाते थे। आराजी नम्बर 1195 में इस रास्ते से हल, बैलगाडी आदि लाते ले जाते रहे है। लेकिन रिकॉर्ड में रास्ता अंकित नही है। आराजी नम्बर 1195 में आराजी नम्बर 1199, 1197, 1196 से होते हुए ही आया जाया जा सकता है। और आराजी नम्बर मुख्य सडक से जुडी हुई है। वांछित रास्ता 10 फीट चौडा व लम्बाई 252 फीट होकर क्षेत्रफल लगभग 2520 वर्ग फीट है। नजरी नक्शा में दर्शाये गया वांछित रास्ता आराजी नम्बर 1195 में बिना आराजी नम्बर 1199, 1197, 1196 में प्रवेश के आवागमन असम्भव है। चाहा गया रास्ता प्रार्थी के लिए सिर्फ सुविधा हेतु ही नही है, वरन् एब्सोल्युट नेसेसिटी है तथा प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर 1195 में जाने का अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। धारा 251ए के तहत अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये चाहे गये

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

रास्ते के एवज में प्रार्थी, विपक्षी को आप न्यायालय के द्वारा निर्धारित किये जाने वाली सम्यक मुआवजा राशि अदा करने के लिये सदैव तत्पर है व आपके आदेश की पालना के लिये वचनबद्ध है। अतः राजस्व ग्राम राजनगर पटवार क्षेत्र राजनगर तहसील राजसमन्द में स्थित विपक्षी की आराजी नं. 1199, 1197, 1196 रकबा 0–15, 0–12, 1–15 बीघा भूमि में रास्ता कायम करते हुए नियमानुसार क्षति पूर्ति राशि का निर्धारण व जमा कर के नजरी नक्शा में दर्शाये गये वांछित रास्ते हेतु 10 फीट चौडाई एवं 252 फीट लम्बाई की भूमि उपलब्ध करवाई जावे एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी नक्शा ट्रेस में विधिवत रूप से अंकित करवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 09.12.2022 को विपक्षी बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। एवं अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश दिनांक 13.01.2023 को नियत की गई। उक्त दिनांक को न्यायालय कार्य नही होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक हेतु नियत की गई। पेशी दिनांक 31.05.2024 को विपक्षी की मृत्यु होने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश हुआ। उक्त प्रा पत्र को स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया गया। दिनांक 23.08.2024 को विपक्षी संख्या 1 के कायम मुकाम की और से अधिवक्ता श्री तरूण दरोगा ने वका पत्र पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब हेतु अवसर चाहा। पत्रावली मे आगामी पेशी दिनांक 07.12.2024 नियम की गई उक्त दिनांक को विपक्षीगण अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से जवाब हेतु अवसर दिया गया। आज दिनांक को भी विपक्षीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित एवं जवाब प्राप्त नही। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। दिनांक 12.01.2022 को तहसीलदार राजसन्द ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजनगर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आराजी नम्बर 1190 रबा 0.1052 हैक्टेयर, 1191 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, 1192 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, 1194 रकबा 0. 0971 हैक्टेयर, 1195 रकबा 0.1376 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.4775 हैक्टेयर भूमि रामपुरी पिता खुमपुरी गोस्वामी सा. सापोल खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। एवं आराजी नम्बर 1196 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, 1197 रकबा 0.0971 हैक्टेयर 1199 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि मोहन पुत्र भैरू भारती गुसाई सा. देह खातेदार के नाम वर्तमान दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम राजनगर के राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 1190, 1191, 1192, 1194, 1195 में आने जाने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता नही है। आराजी नम्बर 1199 के पश्चिम में आराजी नम्बर 1222 है जिसमें से करीब 11–12 फीट चौडा रास्ता मौके पर छुटा हुआ होकर आराजी नम्बर 1199 तक आता है। आराजी नम्बर 1199, 1197, 1196 में रास्ता मौके पर छुटा हुआ नही है। यदि ग्राम राजनगर के आराजी नम्बर 1196, 1197, 1199 मे से 10 फीट चौडाई का रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो रास्ता रिकॉर्ड अनुसार 257 फीट करीब लम्बाई व 10 फीट चौडाई अनुसार रास्ते का रकबा 0.0239 हैक्टेयर बनता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यक प्रकृति का है। एवं प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक प्रकृति का है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी 2077–77 अनुसार राजस्व ग्राम राजनगर पटवार हल्का राजनगर में स्थित आराजी संख्या 1190, 1191, 1192, 1194, 1195 कुल किता 5 भूमियां प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी मे आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा विपक्षी की आराजी संख्या 1199, 1197, 1196 कुल किता 3 मे से 10 फीट चौडा रास्ता चाहा गया। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु मौके व रिकॉर्ड मे रास्ता उपलब्ध नही है, प्रार्थी द्वारा विपक्षी की भूमि से चाहे

(मुहर: न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सत्यमेव जयते, राजसमन्द)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

गये रास्ते की वास्तविक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी को अपनी भूमियों मे आवागमन हेतु 10 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो प्रार्थी को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम राजनगर पटवार हल्का राजनगर तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1190, 1191, 1192, 1194, 1195 कुल किता 5 रकबा क्रमश 0–13, 0–12, 0–05, 0–12, 0–17 बीघा भूमियों मे प्रार्थी को आवागमन हेतु आराजी संख्या 1199, 1197, 1196 कुल किता 3 रकबा क्रमशः 0–15, 0–12, 1–15 बीघा भूमियों की उत्तर दिशा मे से 10 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होने वाले रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा करने पर राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त राशि विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार राजसमन्द के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर–भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होते है तो ऐसी स्थिति मे अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा। केवल आवागमन कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते

उक्त आदेश आज दिनांक 18.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की सील मोहर से जारी किया गया।

**सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद**
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमंद

Scanned with ACE Scanner